

२५.९.२०२१

DR001

राजस्थान - सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

| नाम<br>सीगा | नम्बर<br>रजिस्टर | तारीख<br>दायरा | तारीख<br>फैसला | तादाद कागजात |   |     | नं० रजि० मुहा० |
|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---|-----|----------------|
|             |                  |                |                | क            | ख | योग |                |
| खारा २२     | २२/२०२१          | १५/९<br>२०२१   | १/११<br>२१     |              |   |     |                |

|        |       |                           |       |
|--------|-------|---------------------------|-------|
|        | ब     | भागेराम पुत्र श्योचन्द    |       |
| स्वकार | ना    | मनफुल पुत्र हुन्माराभ जगि |       |
|        | म     | जाट स्त्री. स्वस्वपुत्री  |       |
| (श्री  | वकील) | (श्री                     | वकील) |

फहरिस्त कागजात

| नवम्बर<br>शुमार | तारीख<br>शामिल | विवरण कागजात | तादाद |
|-----------------|----------------|--------------|-------|
|                 |                |              |       |






01.11.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भूअभि.निरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। दलीप पुत्र बीरबल जाति नाई साकिन खरसण्डी ने 500 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 25.10.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण 1 मांगेराम पुत्र श्योचंद जाति जाट साकिन खरसण्डी 2 मनफूल पुत्र हुक्मराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 में से 0.063 है0 में नरमा एवं 0.063 है0 में बाजरी खरीफ फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 20 रू0 से दण्डित किया जाता है। भूअभि. निरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.11.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार(राजस्व)  
नोहर

जहाँ के नोहर, राजस्व के लिए  
पुत्र श्योचंद जाति जाट साकिन  
खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह  
की भूमि खसरा नं. 26 की कुल  
2.529 है0 में से 0.063 है0 में  
नरमा एवं 0.063 है0 में बाजरी  
खरीफ फसल नाजायज काश्त  
करने की रिपोर्ट प्रमाणित  
होती है। अतः प्रश्नगत भूमि  
पर अतिक्रमण करने के कारण  
अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित  
किया जाता है तथा भू.राजस्व  
का 50 गुणा के बराबर तावान  
राशि लगभग 20 रू0 से दण्डित  
किया जाता है। भूअभि. निरीक्षक  
को अलग से आदेश दिये जाते है  
कि अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि  
से बेदखल किया जाकर पालना  
रिपोर्ट सात योम में भिजवाये।

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 22

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

मागेराम पुत्र श्योचंद, मनफूल पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 01.11.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 मांगेराम पुत्र श्योचंद जाति जाट साकिन खरसण्डी 2 मनफूल पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.063 है0 में नरमा एवं 0.063 है0 में बाजरी की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 जबरार को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग रू. 20/- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरार द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 21.10.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली दलीप पुत्र बीरबल जाति नाई साकिन खरसण्डी ने 500 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 92/संवत् 2078 सरकार बनाम मनपूल पुत्र डुम्भाराम जाति जाट का खरखोड़ी

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरखोड़ी के ख.ग. 26 गै.मु. चारागाह की अक्षिपट 0.063 ई  
मे नरमा एव 0.063 ई बाजरी की फसल काशत की है।

संवत् 2078 खरीफ फसल काशत कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24<sup>09</sup>/<sub>21</sub> से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि संवत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नहीं अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृशि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नहीं आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मागला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/09/24 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

रु  
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)  
तहसीलदार (राजस्व)  
0/0 नोहर

22/10/2021

11419  
8/10/21

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : - 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

~~बोहर~~ के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री ~~मगोराम पुत्र शमोचन्द्र जाति जाट सा. खरसोडी~~  
~~मनपुल पुत्र डुम्भाराम जाति जाट सा. खरसोडी~~  
जाति ..... निवासी ..... की चल / अचल संपत्ति .....

① मगोराम पुत्र शमोचन्द्र  
जाति जाट सा. खरसोडी ② मनपुल पुत्र डुम्भाराम जाति  
जाट सा. खरसोडी सरा ख-न. 26 गे-3. चारगाह पट  
0-063 ई नरमा, 0-063 ई बाजरी मी फसल

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति सुर्द बुर्द न करे  
अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री ..... पुत्र श्री ..... जाति .....  
निवासी ..... की सुपुर्दगी मे देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति सुर्द बुर्द हो तो  
रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करायें गए।

3mm/  
8/10/2021

म. 11. 10. 21  
प्र. 10. 10. 21  
भू0अ0नि0

मि. नं → 22/2021

फर्द निलामी

आज दिनांक 20/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/21/980 दिनांक 8/10/2021 की पालना में ग्राम खरसोड़ी के खसरा नं. 26 की श्री. कु. न्यासगाह भूमि में फसल ~~नरमा~~ <sup>0.063 है</sup> ~~नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों ① सागेराम पुत्र शयोचन्द जाति जाट सां. खरसोड़ी, ② मनफुल पुत्र दुम्भाराम जाति जाट सां. खरसोड़ी~~

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सूचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित व्यक्तियों ने उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

| क्र. स. | बोलीदाता  | बोली की राशी |
|---------|---|--------------|
| 1.      | श्री. <u>पताप</u> पुत्र श्री <u>मलाराम</u> जाति <u>जाट</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u>       | 300          |
| 2.      | श्री <u>बेगाराम</u> पुत्र श्री <u>बाजेराम</u> जाति <u>जाट</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u>    | 350          |
| 3.      | श्री <u>किरसन</u> पुत्र श्री <u>दुगाराम</u> जाति <u>ब्राह्मण</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u> | 400          |
| 4.      | श्री <u>दलीप</u> पुत्र श्री <u>वीरवलराम</u> जाति <u>जाट</u> साकिन <u>खरसोड़ी</u>      | 500          |

उपरोक्त में श्री दलीप पुत्र श्री वीरवलराम जाति जाट साकिन खरसोड़ी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

20/10/2021  
राजस्व परवारी  
प.म. ललानिया

पताप

बेगाराम

दलीप  
25/10/21

बेगाराम 20/10/2021  
मु.क.क. जबरसा

# कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1208

दिनांक: 01.11.2021

## आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 22/2021 में निर्णय दिनांक 01.11.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 मागेराम पुत्र श्योचंद जाति जाट साकिन खरसण्डी 2 मनफूल पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है० मे से 0.063 है० में नरमा एवं 0.063 है० में बाजरी नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 20 रुपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।



तहसीलदार (राजस्व)  
नोहर

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1208

दिनांक:- 01.11.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।



तहसीलदार (राजस्व)  
नोहर